न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

रेंट फिक्सेशन अपील वाद सं0–01/2020–21

सीताराम घोष

बनाम

गगन कुमार घोष

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	यह रिविजनवाद, रिविजनकर्त्ता सीताराम घोष, पिता–स्व0 भुजंग भूषण घोष सा0–कदासीर, थाना–नालहाटी, जिला–वीरभूम (पं0बं0) के द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ के न्यायालय के लगान धार्य वाद सं0–26/2018–19 में दिनांक 17.11.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध गगन कुमार घोष, पिता–यादव घोष सा0–कदासीर, थाना–नलहाटी, जिला–वीरभूम (पं0बं0) को पक्षकार बनाते हुए दाखिल किया गया है। ममला संक्षेप में यह है कि अंचल–पाकुड़िया के मौजा–आजीमगढ़ न0–135 के जमाबन्दी–52 के दाग सं0–321 अन्तर्गत रकवा 07–09–09 धुर भूमि का लगान निर्धारण करने हेतु गगन कुमार घोष (इस वाद के उत्तरवादी) के द्वारा अंचल अधिकारी, पाकुड़िया के समक्ष आवेदन दिया गया। अंचल अधिकारी, पाकुड़िया के पत्रांक–410/रा0, दिनांक 03.08.2018 के द्वारा प्रश्नगत भूमि का लगान निर्धारण हेतु प्रपत्र एम0 निम्न न्यायालय को उपलब्ध कराया गया। अंचल अधिकारी के उक्त पत्र के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा लगान धार्य वाद सं0–26/2018–19 संस्थित किया गया एवं दिनांक 17.11.2018 को पारित आदेश द्वारा प्रश्नगत भूमि का लगान निर्धारण घरनी घोष, ससोधर घोष, गोविन्दो घोष, गोपीनाथ घोष एवं बद्रीनाथ घोष के नाम स्वीकृत किया गया। यह रिविजन आवेदन निम्न न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस को विस्तारपूर्वक सुना गया। रिविजनकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत खतियान में पोखर कहकर दर्ज है। उक्त पोखर की बंदोबस्ती भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा भुजंग भूषण घोष पिता–स्व0 लुदाई घोष को बंगला वर्ष–1349 में बंदोबस्ती परवाना निर्गत कर दी गई थी। बंदोबस्ती के बाद भुजंग भूषण घोष का प्रश्नगत भूमि पर दखल–कब्जा रहा एवं लगान भी दिया जाता रहा। भूजंग भूषण घोष की मृत्यु के बाद उनके एकमात्र पुत्र सीताराम घोष (रिविजनकर्त्ता) द्वारा प्रश्नगत तालाब का दखल–भोग किया जाने लगा।	

17. Zafar Naveem

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

कई वर्षों के बाद रिविजनकर्त्ता के कुछ संबंधी गगन घोष एवं अन्य के द्वारा जबरन उक्त पोखर से मछली पकड़ लिया गया फलस्वरूप रिविजनकर्त्ता द्वारा एक PCR case no-133/17 Judicial Magistrate Ist class के न्यायालय में दायर किया गया जो वर्त्तमान में लंबित है एवं आरोपी जमानत पर है। उक्त वाद से खुद को बचाने के लिए उनके द्वारा फर्जी बंदोबस्ती परवाना तैयार किया गया। उक्त फर्जी बंदोबस्ती पट्टा जमाबन्दी सं0 20 का है जो धानी भूमि है जबकि जमाबन्दी सं0–52 पोखर है। उक्त बंदोबस्ती परवाना घरनीधर घोष, ससाधर घोष, गोविन्द घोष, गोपीनाथ घोष एवं बुद्धीनाथ घोष के नाम निर्गत है जो कई वर्ष पूर्व मर चुके हैं। अपने दावे को पुष्ट करने के लिए बानेश्वर घोष एवं अन्य के द्वारा अंचल अधिकारी, पाकुड़िया को बंदोबस्ती पट्टा के आधार पर दाखिल खारिज करने हेतु आवेदन दिया गया। अंचल अधिकारी द्वारा इसपर विविध वाद 01/2017–18 प्रारम्भ कर अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ को भेजा गया। जिसके आधार पर रा0वि0 वाद 94/2017–18 संस्थित किया गया। उक्त वाद भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ को निष्पादन हेतु हस्तांतरित किया गया जो वर्त्तमान में लंबित है। इस बीच गगन घोष के द्वारा प्रश्नगत भूमि का लगान निर्धारण हेतु अंचल अधिकारी, पाकुड़िया के समक्ष आवेदन दिया गया। अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन निम्न न्यायालय को भेजा गया एवं बिना कोई सूचना निर्गत किए ही निम्न न्यायालय द्वारा गलत तरीके से मृत व्यक्तियों के नाम से लगान धार्य कर दिया गया। प्रश्नगत भूमि का लगान भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा निर्धारित कर दिया गया था। ऐसे में उसी भूमि का लगान निर्धारण करना अनुचित है। बंदोबस्ती पट्टा रिविजनकर्त्ता को भूतपूर्व जमींन्दार द्वारा उत्तरवादी से पहले दी गई थी जो जमाबन्दी सं0–52 से संबधित है। जबकि उत्तरवादी को निर्गत पट्टा जमाबन्दी सं0–20 से संबधित है। उत्तरवादी के बंदोबस्ती पट्टा में जोगेन्द्र नारायण सिंह, भूतपूर्व जमीन्दार का हस्ताक्षर है जो बंदोबस्ती की तिथि से पूर्व ही मर चुके थे। लगान निर्धारण मृत व्यक्तियों के नाम से किया गया है। उनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को त्रुटिपूर्ण बताते हुए इसे निरस्त (Set aside) करने का अनुरोध किया गया।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत जमाबन्दी सं0–52 के दाग सं0–321 अन्तर्गत रकवा 07–09–09 धुर जमीन विगत सर्वे खतियान में अनावादी खाता में पोखर कहकर दर्ज है। उक्त भूमि की बंदोबस्ती भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा बंगला वर्ष 25.01.1350 (अंग्रेजी कैलेण्डर के अनुसार 09.05.1943) में घरनीधर घोष, शशीधर घोष, गोविन्द घोष, गोपीनाथ घोष एवं बुद्धीनाथ घोष के साथ बंदोबस्ती परवाना निर्गत कर दी गई थी। बंदोबस्ती के बाद से ही प्रश्नगत भूमि पर उनका दखल–कब्जा

Scanned with CamScanner

की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

रहा एवं उसमें मछली पालन करने लगे। उक्त भूमि का लगान जमा करने हेतु अंचल कार्यालय जाने पर कहा गया कि पहले लगान निर्धारण कराना आवश्यक है। तत्पश्चात् लगान निर्धारण हेतु आवेदन दिया गया एवं अंचल अधिकारी, पाकुड़िया के जांच प्रतिवेदन के आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि का लगान मूल बंदोबस्तीधारकों के नाम से कर दिया गया। जबकि लगान निर्धारण हेतु उत्तरवादी गगन कुमार घोष के द्वारा आवेदन दिया गया था। यह एक Bonafied गलती है। प्रश्नगत भूमि पर उत्तरवादी का दखल–कब्जा है एवं उसमें मछली पालन किया जाता है। रिविजनकर्त्ता द्वारा दाखिल पट्टा फर्जी है इसमें रिसिवर A.K. Sinha का बास्ते कहकर हस्ताक्षर है। निर्गत तिथि अंग्रेजी में 05.08.1943 अंकित है। जबकि उत्तरवादी को स्वयं भूतपूर्व जमीन्दार जोगेन्द्र नरायण सिंह के द्वारा बंदोबस्ती दिनांक 09.05.1943 को दी गई है। रिविजनकर्त्ता का यह दावा बिल्कुल गलत है कि उत्तरवादी को जमाबन्दी सं0–20 अन्तर्गत भूमि की बंदोबस्ती दी गई है। जमीन्दार द्वारा निर्गत बंदोबस्ती पट्टा एवं अंचल अधिकारी के जांच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि उत्तरवादी को जमाबन्दी सं0–52 अन्तर्गत भूमि की बंदोबस्ती दी गई है। भूतपूर्व जमीन्दार को अनावादी खाता की भूमि की बंदोबस्ती का पूर्ण अधिकार था। जोगेन्द्र नारायण सिंह की मृत्यु बंदोबस्ती प्रदान करने के पूर्व हो चुकी थी, इस संबंध में अपीलकर्त्ता द्वारा कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में केवल एकमात्र Bonafied mistake है कि उनके द्वारा गगन कुमार घोष के नाम लगान निर्धारण नहीं कर मूल बंदोबस्तीधारकों के पक्ष में लगान निर्धारण कर दिया गया है। निम्न न्यायालय की इस गलती को सुधार करने संबधी आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया।

संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। अपीलकर्त्ता एवं उत्तरवादी दोनों का दावा है कि उन्हें भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा 01.01.1946 के पूर्व बंदोबस्ती दी गई थी। उभय पक्ष द्वारा दाखिल बंदोबस्ती पट्टा की मूल प्रति का अवलोकन किया गया। अपीलकर्त्ता को निर्गत बंदोबस्ती पट्टा में अंग्रेजी कैलेण्डर की तिथि 05.08.1943 अंकित है जबकि उत्तरवादी को निर्गत बंदोबस्ती पट्टा में बंगला कैलेण्डर की तिथि 25.01.1350 अंकित है जो अंग्रेजी कैलेण्डर के अनुसार 09.05.1943 होता है। अर्थात उत्तरवादी को बंदोबस्ती अपीलकर्त्ता से पहले दी गई। अपीलकर्त्ता का यह दावा है कि उत्तरवादी को दी गई बंदोबस्ती पट्टा में जमाबन्दी सं0–20 अंकित है जबकि मामला जमाबन्दी सं0–52 की भूमि का है। उत्तरवादी द्वारा दाखिल मूल बंदोबस्ती पट्टा में जमाबन्दी सं0–52 अंकित है, अतः अपीलकर्त्ता का यह दावा स्वीकार करने योग्य नहीं है। अंचल

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	अधिकारी के जांच प्रतिवेदन (प्रपत्र एम०) के अनुसार प्रश्नगत भूमि उत्तरवादी के दखल–भोग में है। निम्न न्यायालय द्वारा राजस्व हित में लगान निर्धारण किया गया है जो 100.00 वार्षिक अलावे शेष है एवं यह लगान पर्याप्त है। अपीलकर्त्ता का यह दावा है कि प्रश्नगत भूमि का लगान मृत व्यक्तियों के पक्ष में कर दिया गया। निम्न न्यायालय के आदेश का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि का लगान घरनीधर घोष, शशीधर घोष, गोविन्द घोष, गोपीनाथ घोष एवं बुद्धीनाथ घोष के पक्ष में किया गया है। उत्तरवादी द्वारा यह स्वयं स्वीकार किया गया है कि Bonafied mistake के कारण गगन कुमार घोष के स्थान पर मूल बंदोबस्तीधारकों के पक्ष में लगान निर्धारित कर दिया गया है जो वर्षो पूर्व मृत हो चुके है। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि लगान निर्धारण हेतु आवेदन गगन कुमार घोष के द्वारा दिया गया था। नोटिस भी गगन कुमार घोष को किया गया परन्तु राजस्व उप निरीक्षक के प्रतिवेदन (प्रपत्र एम0) के आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा मृत व्यक्तियों के नाम से लगान निर्धारण का आदेश पारित कर दिया गया। यह चूक कार्यालय स्तर की है एवं इस चूक के लिए संबंधित पक्षकार की कोई गलती नहीं है।अतः इस त्रुटि को कार्यालय स्तर से सुधार किया जाना उचित है। उपर्युक्त विवेचना के आधार पर रिविजन आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। यह वाद इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मृत व्यक्तियों के स्थान पर उत्तरवादी गगन कुमार घोष का नाम प्रविष्ट किया जाए। निम्न न्यायालय केवल इसी हद तक अपने आदेश में आंशिक संशोधन करेंगे। शेष आदेश यथावत रहेगा। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें। लेखापित एवं संशोधित। 10/6/23 उ पा यु क्त, पाकुड़। 10/6/23 उ पा यु क्त, पाकुड़।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.07.22 13:04:11 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:2ce1:8868:3557:aab2

Scanned with CamScanner